

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

70 14-8-2014

क्रमांक: जविप्रा/जोन-1/2014/डी-2901

दिनांक: 14/8/2014


आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम, जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है। इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में जोन-1 क्षेत्राधिकार की निम्नांकित योजनाएँ नगर निगम, जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइबिलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख रखाव (जैसे सड़कों, नालियों, पार्को, इत्यादि) के लिए हस्तांतरित की जाती है :-


क.सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	कुल पत्रावलियाँ
1	लक्ष्मीनारायणपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति लि.	त्यागी कॉलोनी	7
2	दी सिविल लाईन्स गृ.नि.स.स.	यूनिट नं. 1 सिविल लाईन्स	124
3	न्यू लाईट गृ.नि.स.स.	न्यू लाईट कॉलोनी	123
4	श्रीरामपुरा हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.	स्कीम नं. 1 सिविल लाईन्स	40

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जमाबंदी नगर निगम, जयपुर वसूल करेंगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख रखाव एवं निर्माण की पूर्ण जिम्मेदारी होंगी।

  
सचिव  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुर्नवास), जविप्रा, जयपुर।
11. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. रक्षी पत्रावली।

  
सचिव  
जविप्रा, जयपुर।

12/8/14  
जम

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/जोन-1/2014/डी- 2060

दिनांक: 24/6/2014


### आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम, जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है। इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में जोन-1 क्षेत्राधिकार की निम्नांकित योजनाएँ नगर निगम, जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइबिलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख रखाव (जैसे सड़कों, नालियों, पार्को, इत्यादि) के लिए हस्तांतरित की जाती है :-


क्र.सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	कुल पत्रावलियां
1	माधव नगर	हिम्मत नगर	14
2	सुभाष सिन्धी	जय अम्बे नगर	182
3	बजाज नगर	अनिता कॉलोनी	11
4	जय अम्बे	जय अम्बे	25
5	जयपुर हॉउसिंग बिल्डिंग	जवाहर नगर	50
6	लक्ष्मीनारायण	जोशी कॉलोनी	5
7	निजी भूमि	काला कॉलोनी	15
8	श्री लक्ष्मीनारायण	विजय नगर	61
9	दी कृष्णा	विनायक्या नं. 1	35
10	श्री महाराज गोपालपुरा	शिवाजी नगर	85
11.	निजी भूमि	मान विहार	14
12	महालक्ष्मी	महालक्ष्मी नगर	124
13	मॉडर्न	शक्ति नगर	58
14	निजी खातेदारी	खसरा नं. 350 यादव पथ	3
15	नेशनल	सुन्दर नगर	87

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जमाबंदी नगर निगम, जयपुर वसूल करेंगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख रखाव एवं निर्माण की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

  
सचिव  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुर्नवास), जविप्रा, जयपुर।
11. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. सभी पत्रावलियां।

  
सचिव  
जविप्रा, जयपुर।

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा.1/2014/डी- 1965

दिनांक:- 10-6-2014

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन, पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है, जो नगर निगम, जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है। इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में जोन-1 क्षेत्राधिकार की निम्नांकित योजनाएँ नगर निगम, जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइबिलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख रखाव (जैसे सड़कों, नालियों, पार्को इत्यादि) के लिए हस्तान्तरित की जाती है:-

क्र. सं.	गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	कुल पत्रावलियां
1.	प्रताप नगर गृ.नि.स.स.	प्रताप नगर	63
2.	बजाज नगर	हिम्मत नगर	43
3.	गुलाबबाडी	सूरज नगर पूर्व	20
4.	जेम एन्क्लेव	जेम एन्क्लेव	61
5.	खसरा नं. 328	मदरामपुरा	23
6.	श्रीरामपुरा 2बी व 2बी विस्तार	सूरज नगर पश्चिम	80
7.	विद्युत अभियन्ता	विद्युत अभियन्ता	70
8.	स्वास्तिक	गौरव नगर, सिविल लाईन्स	11
9.	भारत भवन	हिम्मत नगर स्कीम नं. 6	105
10.	इन्कम टैक्स	इन्कम टैक्स	22

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जमाबंदी नगर निगम, जयपुर वसूल करेगा। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृति नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जायेगी। जयपुर नगर निगम, जयपुर की इस योजना में रख रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त (शासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुर्नवास), जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षी पत्रावली।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

जोन 1

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक- जविप्रा/उपा-1/2014/डी- 1929

दिनांक- 6-6-2014

### आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कई ऐसी योजनाओं में अनुमोदन, पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो जयपुर नगर निगम, जयपुर की भौगोलिक सीमा के भीतर है। इन योजनाओं का चरणबद्ध तरीके से हस्तान्तरण जयपुर नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।


इस क्रम में निम्नांकित योजनाएं जयपुर नगर निगम, जयपुर को तमाम असेट्स एवं लाइविलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव (जैसे सड़कों, नालियों, पार्को इत्यादि) के लिए हस्तान्तरण की जाती है:-

जोन-के क्षेत्राधिकार में आने वाली अनुमोदित योजनाओं की सूची।

क्र.सं	समिति का नाम	योजना का नाम
1	माधव नगर	हिम्मत नगर
2	सुभाष सिन्धी	जय अम्बे नगर
3	न्यू लाईट	न्यू लाईट
4	बजाज नगर	अनिता कॉलोनी
5	प्रताप नगर	प्रताप नगर
6	जय अम्बे	जय अम्बे
7	जयपुर हा0 बिल्डिंग	जवाहरनगर
8	लक्ष्मीनारायण	त्यागी कॉलोनी
9	नेशनल	तारानगर
10	भारत भवन	हिम्मत नगर
11	बजाज नगर	हिम्मत नगर
12	लक्ष्मीनारायण	जारी कॉलोनी
13	श्रीरामपुरा	सूरज नगर (पश्चिम)
14	निजी खातेदारी	कानाता थग (01-26)
15	नेशनल	सुन्दरनगर
16	नवगृह	उषा कॉलोनी
17	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर
18	निजी भूमि	कॉला कॉलोनी
19	श्री 108	जेम्स एबेल
20	श्री लक्ष्मीनारायण	विजय नगर
21	विद्युत अभियंता	विद्युत अभियंता
22	दी कृष्णा	विनायक्या न0 1
23	जडीए	सी-स्कीन, जयपुर (आधा भाग)
24	पथिक	स्कीम नं0 4
25	निजी भूमि	बरवाडा हाउस
26	गुलाब बाडी	सूरज नगर पूर्ण
27	श्री महाराज गोपालपुरा	शिवाजी नगर
28	ज्योतिजगजीवन	अचरोल हाउस
29	सिावेल लाईन	स्कीम नं0 1
30	स्वारिक	गौरव नगर
31	निजी भूमि	कैलाश नगर
32	निजी भूमि	मानविहार
33	श्री रामपुरा	स्कीम नं0 1
34	निजी भूमि	भगत वाटिका
35	इन्कमटैक्स	इन्कमटैक्स

36	महालक्ष्मी	महालक्ष्मी नगर
37	दी कृष्णा	स्कीम नं० 9
38	रामजीपुरा	लाल बहादुर नगर
39	सैन कॉलोनी	सैन कॉलोनी, मालवीय नगर
40	माधव गृ.नि.स.स.	विनीबा नगर
41	श्रीरामपुरा हॉ.कॉ. सौ.	स्कीम नं. 2ए व 2बी
42	मीणा गृह निर्माण सहकारी समिति	डागमण्ड हिल्स
43	निजी खातेदारी	खसरा नं. 350 यादव पथ
44	निजी खातेदारी	खसरा नं. 328 ग्राम भदरामपुरा

उपरोक्त वर्गित योजनाओं की शहरी जमाबंदी जयपुर नगर निगम, जयपुर वसूल करेंगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृति जयपुर नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। जयपुर नगर निगम, जयपुर की इन योजनाओं में रख-रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।


  
(पवन अरोड़ा)  
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

१८

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुर्नवास), जयपुर, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. रक्षी पत्रावली।

  
(पवन अरोड़ा)  
सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

१८